राजस्थान सरकार

लेखे एक नजर में

2014-2015

प्रधान महालेखाकार
(लेखे एवं हकदारी)
राजस्थान, जयपुर

प्रस्तावना

'लेखे एक नजर में' *एक वार्षिक प्रकाशन है जो सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसाकि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। सूचना संक्षिप्त स्पष्टीकरण, विवरण व ग्राफ द्वारा दर्शायी गयी है।*

राज्य सरकार के वार्षिक लेखे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अधीन नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार बनाये और जांचे जाते हैं। वार्षिक लेखे (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे का समावेश हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अंतर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान के अनुसार किये गये व्यय अंकित किये जाते हैं और वास्तविक व्यय तथा निधि व्यवस्था के बीच अन्तर के स्पष्टीकरण का सार अंकित किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है।

प्रकाशन में सुधार के सुझावों से मदद मिलेगी जिसका हमें इन्तजार रहेगा।

(सुदर्शना तलापत्रा)
प्रधान महालेखाकार

स्थान : जयपुर,

दिनांक : फरवरी 04, 2016

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1	**विहंगावलोकन**	
1.1.	प्रस्तावना	1
1.2.	लेखाओं का ढाँचा	1–2
1.3.	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	3–4
1.4.	निधियों का स्त्रोत तथा आवेदन	4–6
1.5.	लेखे की विशिष्टताएं	7
1.6.	अधिशेष तथा घाटा क्या इंगित करते हैं ?	8–9
अध्याय 2	**प्राप्तियां**	
2.1.	प्रस्तावना	10
2.2.	राजस्व प्राप्तियां	10–11
2.3.	प्राप्तियों का रूझान	12–13
2.4.	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण की कार्यशैली	13
2.5.	कर संग्रहण की दक्षता	14
2.6.	गत पाँच वर्षों के दौरान संघ करों के राज्यांश में रूझान	14
2.7.	सहायतार्थ अनुदान	15
2.8.	लोक ऋण	15
अध्याय 3	**व्यय**	
3.1.	प्रस्तावना	16
3.2.	राजस्व व्यय	16–18
3.3.	पूंजीगत व्यय	18–19
अध्याय 4	**आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय**	
4.1.	व्यय का वितरण	20
4.2.	आयोजना भिन्न व्यय	20
4.3.	आयोजना व्यय	21
4.4.	वचनबद्ध व्यय	22
अध्याय 5	**विनियोग लेखे**	
5.1.	विनियोग लेखे का सारांश	23
5.2.	गत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य का रूझान	23
5.3.	महत्वपूर्ण बचत	24–26
अध्याय 6	**सम्पत्तियां एवं दायित्व**	
6.1.	सम्पत्तियां	27
6.2.	ऋण एवं देयता	27–28
6.3.	गारन्टियां	28
अध्याय 7	**अन्य मदें**	
7.1.	राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा अग्रिम	29
7.2.	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	29
7.3.	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	30
7.4.	लेखों का अंक मिलान	30
7.5.	व्यय की प्रचुरता	30–31
7.6.	कोषालयों द्वारा लेखों की प्रस्तुति	32
7.7.	सारांशीकृत आकस्मिक बिल तथा विस्तृत आकस्मिक बिल	32
7.8.	अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के लेखे पर वचनबद्धता	32

अध्याय 1

विहंगावलोकन

1.1. प्रस्तावना

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा राजस्थान सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के लेखों का संकलन किया जाता है । यह संकलन 41 जिला कोषालयों, 264 सार्वजनिक निर्माण खण्डों, 70 वन खण्डों, अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समायोजन की सूचना द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक लेखों पर आधारित है। इस संकलन से, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) वार्षिक रूप से वित्त तथा विनियोग लेखे तैयार करता है जिन्हें प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), राजस्थान द्वारा अंकेक्षित एवं भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2. लेखाओं का ढाँचा

1.2.1. सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में संधारित किये जाते हैं :

भाग I समेकित निधि	राजस्व तथा पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियां तथा व्यय, लोक ऋण तथा कर्जे एवं अग्रिम।
भाग II आकस्मिकता निधि	अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से जिनके लिए बजट में प्रावधान नहीं है। इस निधि से किये गये व्यय को बाद में समेकित निधि से पूरित किया जाता है।
भाग III लोक लेखा	ऋण, जमा, पेशगियां, प्रेषण एवं उचन्त लेन–देन समाहित हैं। ऋण एवं जमा सरकार के पुनर्भुगतान दायित्वों को दर्शाता है। पेशगियां सरकार की प्राप्त होने योग्य हैं। प्रेषण तथा उचन्त संव्यवहार समायोजन प्रविष्टियां हैं जो लेखे के अंतिम शीर्ष में इन्द्राज से अन्ततोगत्वा समायोजित होनी आवश्यक है।

1.2.2. लेखों का संकलन

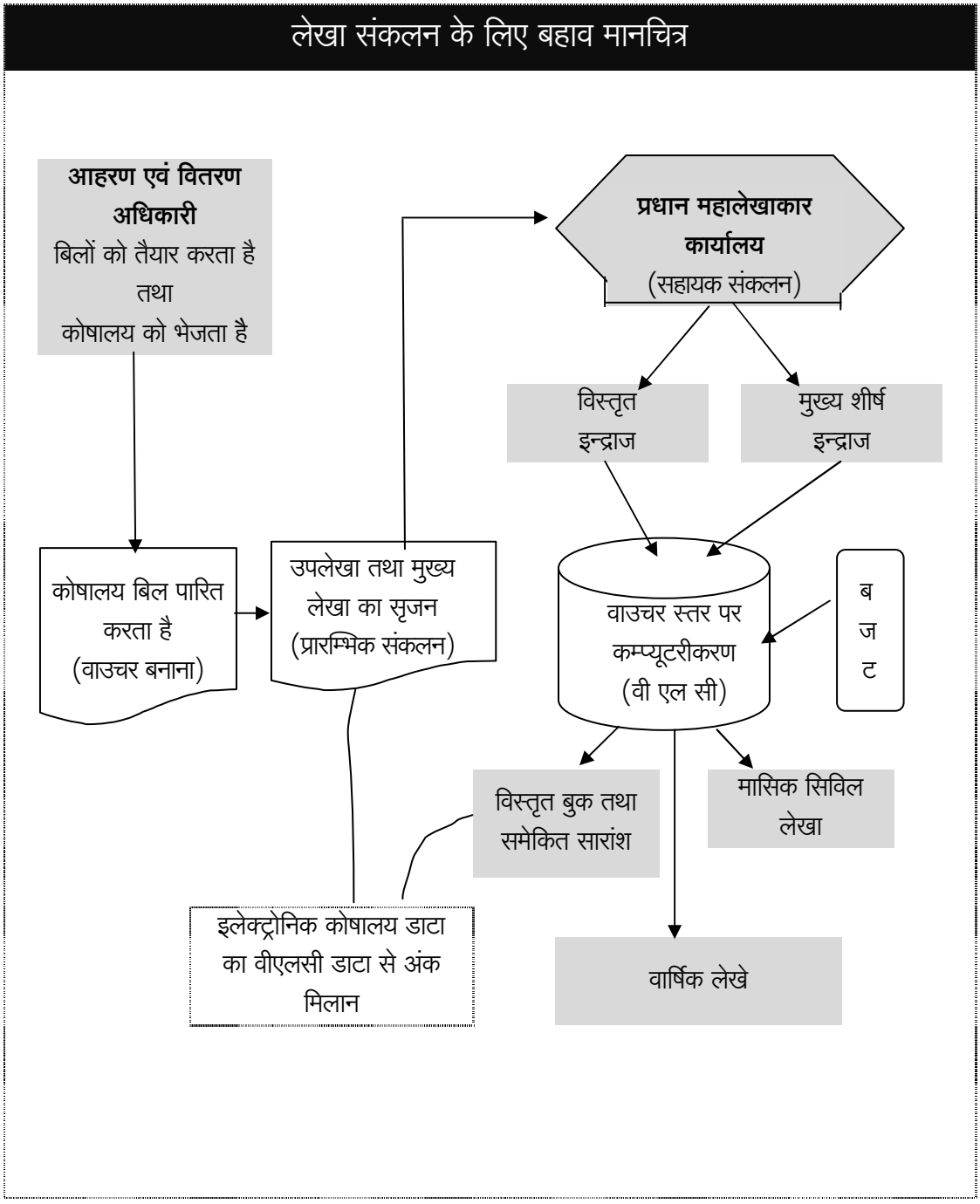
लेखा संकलन के लिए बहाव मानचित्र
आहरण एवं वितरण अधिकारी
बिलों को तैयार करता है तथा
कोषालय को भेजता है
प्रधान महालेखाकार कार्यालय
(सहायक संकलन)
विस्तृत इन्द्राज
मुख्य शीर्ष इन्द्राज
कोषालय बिल पारित करता है
(वाउचर बनाना)
उपलेखा तथा मुख्य लेखा का सृजन
(प्रारम्भिक संकलन)
वाउचर स्तर पर कम्प्यूटरीकरण
(वी एल सी)
ब ज ट
विस्तृत बुक तथा समेकित सारांश
मासिक सिविल लेखा
इलेक्ट्रोनिक कोषालय डाटा का वीएलसी डाटा से अंक मिलान
वार्षिक लेखे

1.3. वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

वित्त लेखे वर्ष के लिये सरकार की प्राप्तियों तथा वितरणों को दर्शाते है, साथ ही लेखों में दर्ज राजस्व तथा पूंजीगत लेखों, लोक ऋण तथा लोक लेखे के शेषों द्वारा वित्तीय परिणाम दिखाते हैं। वित्त लेखे अधिक व्यापक और सूचनार्थक बनाने हेतु दो खण्डों में तैयार किये जाते हैं । वित्त लेखे के खण्ड–I में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, प्राप्तियों एवं भुगतानों (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण तथा अग्रिम एवं लोक ऋण), निवेशों, गारण्टियों, सहायतार्थ अनुदान के सारांशीकृत विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखाओं की गुणवत्ता तथा अन्य मदों से समाहित 'लेखाओं से टिप्पणियां' हैं; खण्ड –II में विस्तृत विवरण (भाग–I) तथा परिशिष्ट (भाग–II) है।

राजस्थान सरकार की प्राप्तियां तथा वितरण, जैसा कि वित्त लेखे 2014–15 में प्रदर्शित है, नीचे दिये गये हैं:–

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां (कुल : 1,11,346)	राजस्व (कुल : 91,327)	कर राजस्व	58,490
		करेत्तर राजस्व	13,229
		सहायतार्थ अनुदान	19,608
	पूंजीगत (कुल : 20,019)	प्राप्तियां	15
		कर्जे तथा अग्रिम की वसूली	1,004
		उधार तथा अन्य दायित्व *	19,000
वितरण (कुल: 1,11,346)	राजस्व		94,542
	पूंजीगत		16,103
	कर्जे तथा अग्रिम		701

* उधार तथा अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियां – वितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियां–वितरण) + रोकड़ शेष का निवल (प्रारम्भिक – अंतिम)।

31 मार्च 2014 तक, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वन के लिये राज्य कार्यकारी अभिकरणों/गैर सरकारी संगठनों को प्रचुर मात्रा में निधियां सीधे हस्तांतरित की जाती थी। महानियंत्रक लेखा के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के अनुसार 2014–15 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 561 करोड़ कार्यकारी अभिकरणों को जारी किये गये। सी.एस.एस./ ए.सी.ए. की सभी सहायता सीधे राज्य सरकार को जारी करने तथा कार्यकारी ऐजेन्सियों को नहीं करने के भारत सरकार के निर्णय ने 2013–14 की तुलना में कार्यकारी ऐजेन्सियों को सीधा स्थानान्तरण 93.45 *प्रतिशत* तक कम कर दिया। ये हस्तान्तरण वित्त लेखे के खण्ड–II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किये गये हैं।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे के पूरक हैं। ये समेकित निधि पर '*भारित*' तथा राज्य विधानसभा द्वारा 'पारित' राशियों के विरूद्ध राज्य सरकार के व्यय को दर्शाते हैं। इसमें 4 *प्रभारित* विनियोजन तथा 51 दत्तमत अनुदान हैं।

विनियोग अधिनियम, 2014-15 में सकल व्यय के लिये ₹ 1,34,781 करोड़ तथा व्यय की कमी (वसूलियों) के लिए ₹ 3,354 करोड़ के प्रावधान कराये गये। इसके विरूद्ध, वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,19,785 करोड़ तथा व्यय में कमी ₹ 3,179 करोड़ थी, परिणामस्वरूप शुद्ध बचत ₹ 14,996 करोड़ तथा व्यय की कमी पर ₹ 175 करोड़ (5 *प्रतिशत*) अनुमान से कम रहे। सकल व्यय में सारांश आकस्मिक (एसी) बिल द्वारा आहरित ₹ 191 करोड़ शामिल हैं जो कि वर्ष के अन्त तक विस्तृत आकस्मिक (डी सी) बिल की प्रत्याशा में बकाया थे।

2014-15 के दौरान, ₹ 21,504 करोड़ लोक लेखा के अंतर्गत निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते में स्थानान्तरित/जमा किये गये, जो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पदनामित प्रशासकों द्वारा संधारित किये जाते हैं। ऐसे स्थानान्तरणों का विवरण, यदि कोई, तथा व्यक्तिगत निजी निक्षेप खातों में बकाया शेष केवल कोषालय के पास उपलब्ध होता है, क्योंकि ऐसे अभिलेखों के संधारण के लिए वे ही उत्तरदायी है।

1.4. निधियों का स्त्रोत तथा आवेदन

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता बनाये रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संधारित तयशुदा न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 2.34 करोड़) में यदि कमी आती है, तो अधिविकर्ष (ओडी) की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । 2014-15 के दौरान, राजस्थान सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष सुविधा नहीं ली गयी।

1.4.2. निधि प्रवाह विवरण

राज्य का ₹ 3,215 करोड़ का राजस्व घाटा तथा ₹ 19,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)[1] का क्रमश: 0.56 *प्रतिशत* तथा 3.31 *प्रतिशत* था। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 17.06 *प्रतिशत* था। यह घाटा लोक ऋण (₹ 13,181 करोड़) तथा लोक लेखा एवं रोकड़ शेष में निवल वृद्धि (₹ 5,819 करोड़) से पूरित किया गया । राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 91,327 करोड़) का लगभग 70 *प्रतिशत* वचनबद्ध व्यय जैसे, संवेतन (₹ 23,020 करोड़), ब्याज अदायगियां[2] (₹ 10,468 करोड़), पेंशन (₹ 9,629 करोड़), सहाय्य (₹ 8,626 करोड़), वेतन के लिए सहायतार्थ अनुदान (₹ 8,245 करोड़), सामाजिक सुरक्षा पेंशन (₹ 3,709 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 478 करोड़) पर खर्च हुआ।

---

1 सिवाय जहां अन्यथा दर्शाया गया हो, इस प्रकाशन में उपयोजित सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग के आर्थिक सर्वे से लिये गये हैं।

2 इसमें 2049 के अतिरिक्त अन्य शीर्षों के तहत चुकाये गये ब्याज अदायगी के ₹ 5 करोड़ सम्मिलित है।

निधियों का स्त्रोत एवं आवेदन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
स्त्रोत	01.04.2014 को प्रारम्भिक नकद शेष	6
	राजस्व प्राप्तियां	91,327
	पूंजीगत प्राप्तियां	15
	कर्ज तथा अग्रिम की कटौती	1,004
	लोक ऋण	18,141
	अल्प बचतें, भविष्य निधि तथा अन्य	7,082
	आरक्षित निधियां	2,362
	प्राप्त जमा	1,07,060
	सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान	7
	उचन्त लेखा *	1,27,099
	प्रेषण	10,487
	आकस्मिकता निधि	..
	योग	**3,64,590**

	विवरण	राशि
आवेदन	राजस्व व्यय	94,542
	पूंजीगत व्यय	16,103
	दिये गये ऋण	701
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,960
	अल्प बचतें, भविष्य निधि तथा अन्य	4,100
	आरक्षित निधियां	2,237
	जमा खर्च	1,05,648
	दिये गये सिविल अग्रिम	10
	उचन्त लेखा *	1,25,770
	प्रेषण	10,488
	31.03.2015 को अंतिम नकद शेष	31
	योग	**3,64,590**

* उचन्त खाते में कोषालय बिलों में निवेशित ₹ 1,25,703 करोड़ तथा विभागीय शेषों तथा स्थायी नकद अग्रदाय का वितरण, जिन्हें " आवेदन " पक्ष की ओर दर्शाया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बिल विक्रय किये गये (₹ 1,27,072 करोड़) के कोषालय बिलों ("पुन: बट्टे" के रूप में जाने जानी वाली एक प्रक्रिया) तथा विभागीय शेषों तथा स्थाई नकद अग्रदाय में प्राप्तियां जिन्हें " स्त्रोतों " की तरफ दर्शाया गया है, सम्मिलित है। ऐसे निवेश का निवल राज्य सरकार के अंतिम नकद शेष (₹ 1,369 करोड़) को पूरित करता है।

1.4.3. रुपया जहाँ से आया :

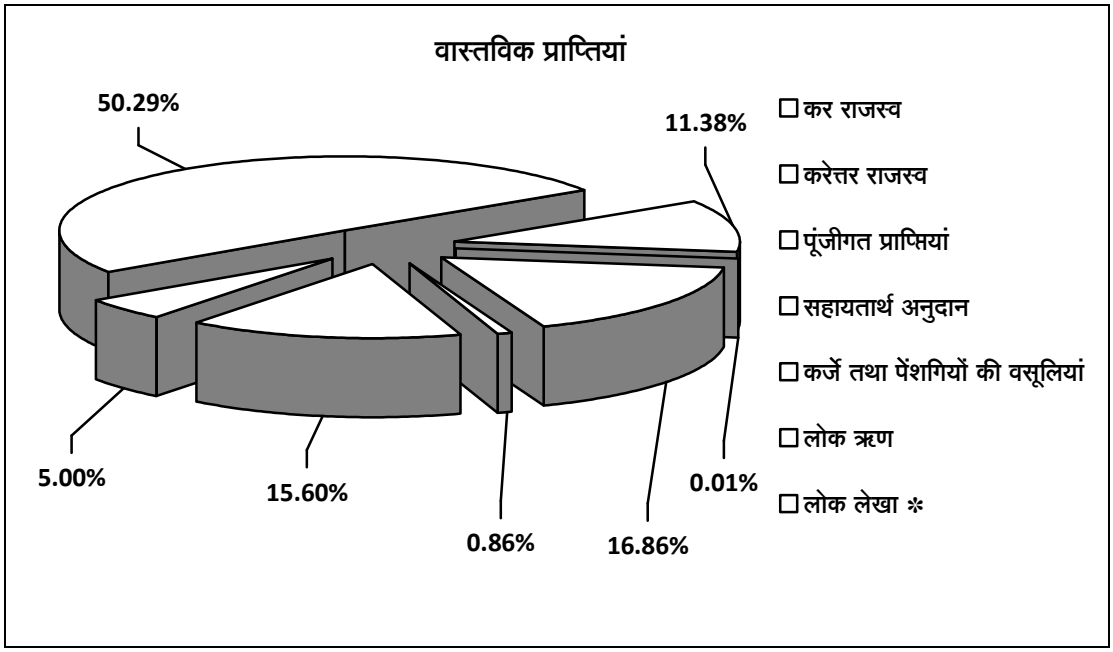

* लोक लेखे (रोकड़ शेष सहित) घटक निवल लिये गये हैं।

1.4.4. रुपया जहाँ गया :

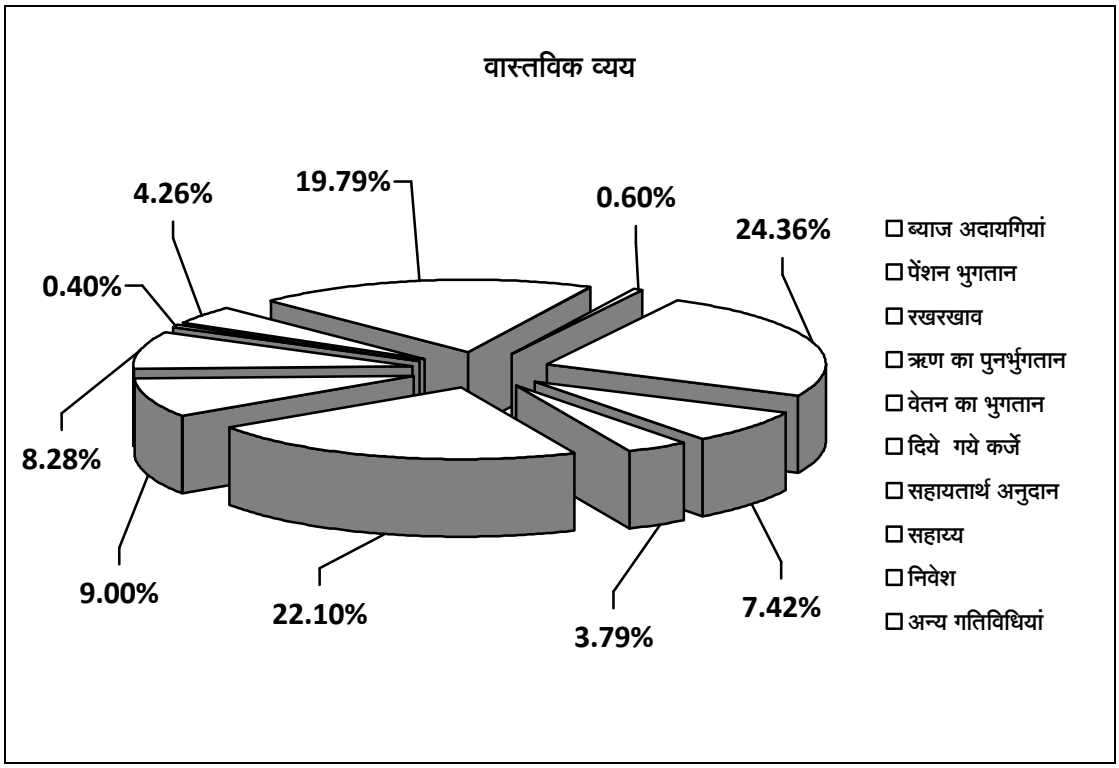

1.5. लेखे की विशिष्टताएं

		आय–व्ययक अनुमान 2014–15	वास्तविक	वास्तविक का आय–व्ययक अनुमान से *प्रतिशतता*	वास्तविक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशतता* @
		(₹ करोड़ में)			
1.	कर राजस्व*	63,411	58,490	92.24	10.18
2.	करेत्तर राजस्व	14,939	13,229	88.55	2.30
3.	सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	27,775	19,608	70.60	3.42
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	1,06,125	91,327	86.06	15.90
5.	पूंजीगत प्राप्तियां	8	15	187.50	..
6.	कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	151	1,004	664.90	0.17
7.	निवल उधार और अन्य दायित्व	20,186	19,000	94.12	3.31
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	20,345	20,019	98.40	3.48
9.	कुल प्राप्तियां (4+8)	1,26,470	1,11,346	88.04	19.38
10.	आयोजना भिन्न व्यय	69,355	67,169	96.85	11.69
11.	राजस्व लेखे पर आयोजना भिन्न व्यय	69,302	67,098	96.82	11.68
12.	ब्याज अदायगियां आयोजना भिन्न व्यय कॉलम 11 में से	10,470	10,463	99.93	1.82
13.	पूंजीगत लेखा पर आयोजना भिन्न व्यय	53	71	133.96	0.01
14.	आयोजना व्यय	57,115	44,177	77.35	7.69
15.	राजस्व लेखा पर आयोजना व्यय	36,085	27,444	76.05	4.78
16.	पूंजीगत लेखा पर आयोजना व्यय	21,030	16,733	79.57	2.91
17.	कुल व्यय (10+14)	1,26,470	1,11,346	88.04	19.38
18.	राजस्व लेखे पर व्यय (11+15)	1,05,387	94,542	89.71	16.46
19.	पूंजीगत लेखे पर व्यय ** (13+16)	21,083	16,804	79.70	2.92
20.	राजस्व घाटा (–)/ अधिशेष (+)*** (4-18)	(+) 738	(-) 3,215	..	0.56
21.	राजकोषीय घाटा *** [17-(4+5+6)]=7	20,186	19,000	94.12	3.31

@ विस्तृत रूप से वर्ष के दौरान स्थायी सम्पत्तियों के उपभोग हेतु प्रावधान करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता हैं।

* भारत सरकार से प्राप्त राज्य को निवल आगम का भाग शामिल हैं।

** पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹ 16,103 करोड़) तथा वितरित किये गये कर्जे और पेशगियां (₹ 701 करोड़) शामिल हैं।

*** राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। राजस्व तथा पूंजीगत व्यय (वितरित कर्जे और पेशगियां सहित) का राजस्व प्राप्तियों, कर्जे और पेशगियां की वसूलियां तथा अन्य प्राप्तियां पर रहे आधिक्य को राजकोषीय घाटे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

1.6. अधिशेष तथा घाटा क्या इंगित करते हैं ?

घाटा	प्राप्ति तथा व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। घाटे का प्रकार, घाटा कैसे पोषित होता है तथा निधियों का आवेदन, वित्तीय प्रबन्धन में विवेक का महत्वपूर्ण सूचक है।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान ढाँचे के संधारण में आवश्यक है तथा आदर्श रूप से राजस्व प्राप्तियों से पूरित होना चाहिये।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियां (उधार के अतिरिक्त) तथा कुल व्यय के मध्य अंतर को इंगित करता है। यह अंतर यद्यपि, उधार द्वारा पोषित व्यय का सूचक है। आदर्श रूप से उधार पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

घाटा सूचक, राजस्व आवर्द्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जांचने के मुख्य मापदण्ड है। ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंषा की प्राप्ति के लिये राजस्थान सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 गठित किया गया तथा 2006 में इससे सम्बन्धित नियमावली अधिसूचित की गयी। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंषा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (2011) में संशोधन के अनुसार राज्य ने (i) वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटे को खत्म करने तथा उसके बाद यथास्थिति रखने अथवा राजस्व अधिशेष की प्राप्ति, (ii) वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 *प्रतिशत* या इससे कम करने तथा उसके बाद में इसे बनाये रखना तथा (iii) 2014-15 की समाप्ति पर बकाया दायित्वों को अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 36.5 *प्रतिशत* तक कम करने के लिए राजकोषिय लक्ष्य निर्धारित किये। राज्य सरकार का 2010-11 से 2012-13 तक राजस्व अधिशेष था जो 2013-14 में राजस्व घाटे में बदल गया तथा 2014-15 में भी रहा। 2014-15 के अन्त में राजकोषीय घाटा अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.31 *प्रतिशत* तथा बकाया दायित्व 25.69 *प्रतिशत* थे।

1.6.1. राजस्व घाटा/अधिशेष का रूझान

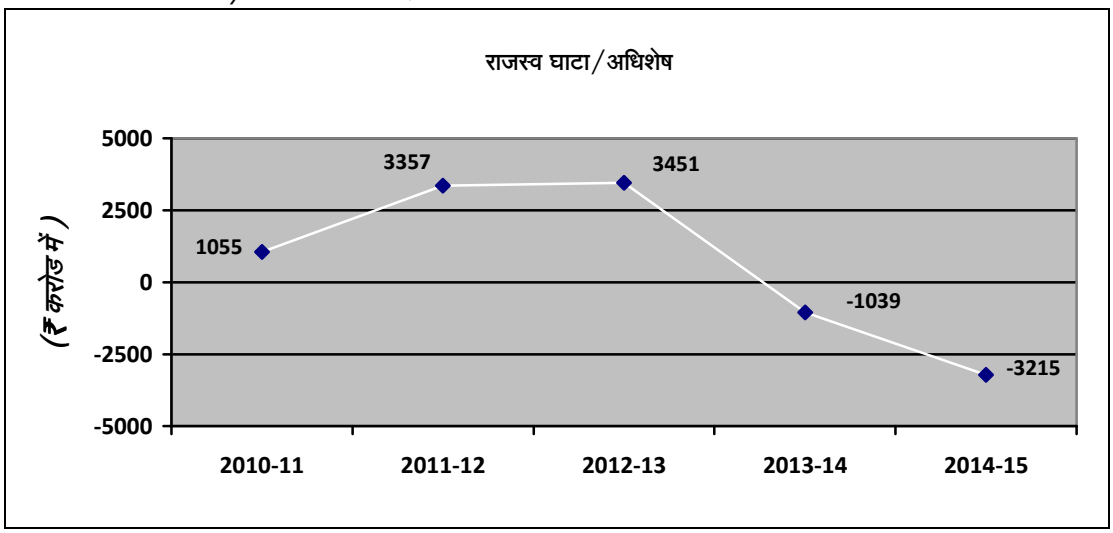

1.6.2. राजकोषीय घाटे का रूझान

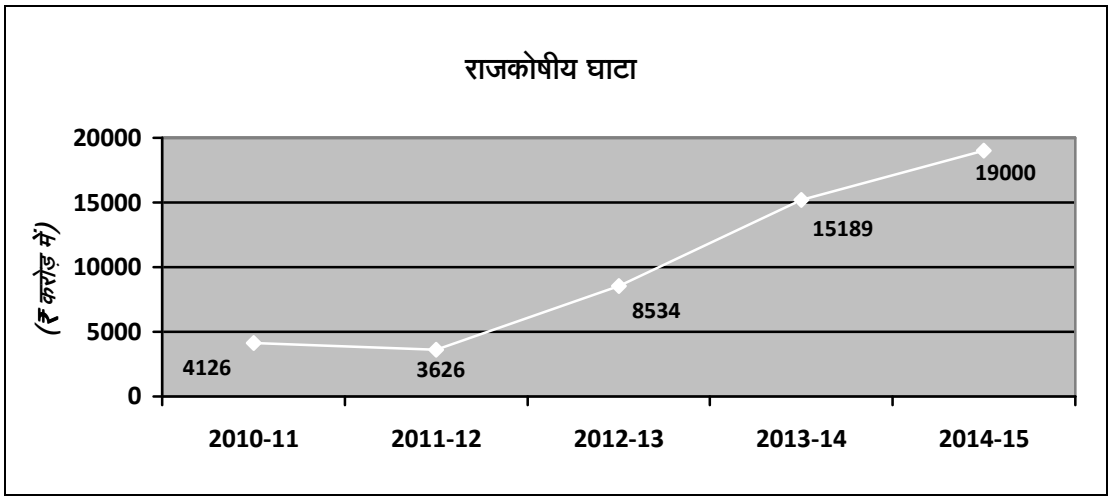

1.6.3. उधार ली गई निधियों का अनुपात जो पूंजीगत व्यय पर खर्च किया गया

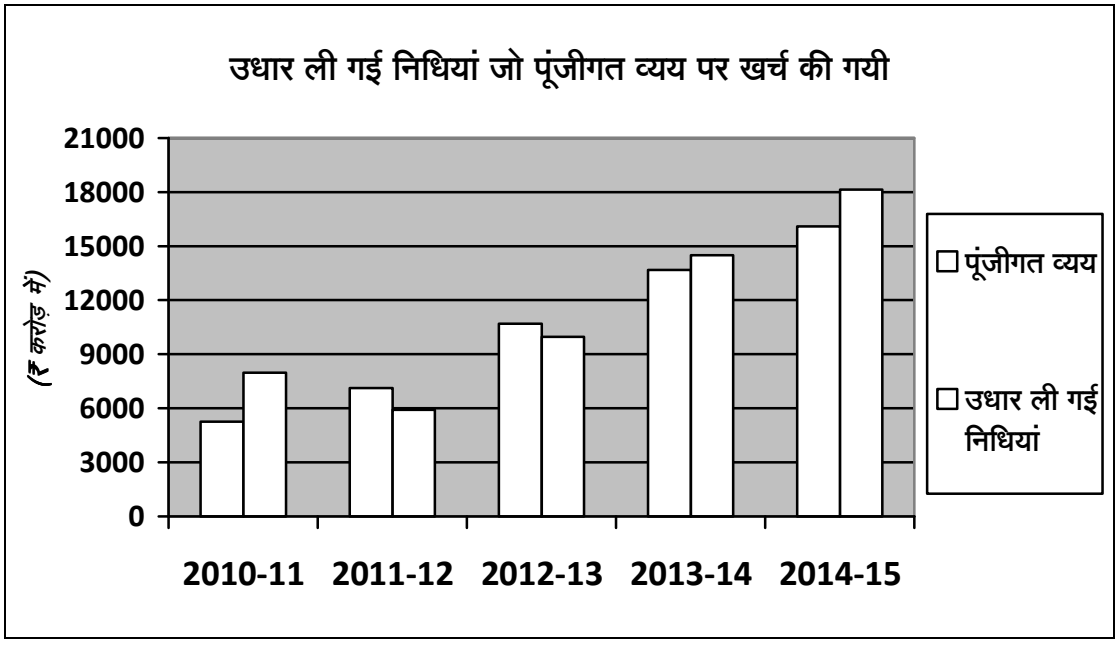

यह वांछित है कि उधार ली गई निधियों का पूर्ण उपयोग पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु किया जाये, तथा राजस्व प्राप्तियों का प्रयोग मूलधन तथा उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु किया जाए। राज्य सरकार ने यद्यपि, पूंजी लेखे (₹ 16,103 करोड़) पर चालू वर्ष की उधारी (₹ 18,141 करोड़) की तुलना में कम व्यय किया तथा शेष उधारी (₹ 2,038 करोड़) राजस्व घाटे की पूर्ति में उपयोजित की गयी।

अध्याय 2

प्राप्तियां

2.1. प्रस्तावना

सरकार की प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत प्राप्तियां के रूप में वर्गीकृत की जाती है। 2014–15 के लिए कुल प्राप्तियां ₹ 1,11,346 करोड़ थी।

2.2. राजस्व प्राप्तियां

कर राजस्व	राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोजित कर तथा संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अंतर्गत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।
करेत्तर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, रॉयल्टी आदि सम्मिलित है।
सहायतार्थ अनुदान	संघ सरकार से राज्य सरकार को आवश्यक केन्द्रीय सहायता का रूप है, जिसमें विदेशी सरकारों तथा संघ सरकार के माध्यम से प्राप्त '' बाह्य सहायता '' सम्मिलित है। राज्य सरकार भी संस्थाओं जैसे पंचायती राज्य संस्थाएं, स्वायत्तशासी निकायों आदि को सहायतार्थ अनुदान देती है।

2.2.1. राजस्व प्राप्ति के घटक (2014–15)

(₹ करोड़ में)

संघटक	वास्तविक	राजस्व प्राप्ति से *प्रतिशतता*
क. कर राजस्व *	**58,490**	**64.04**
आय एवं व्यय पर कर	11,863	12.99
सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	3,501	3.83
सेवाओं एवं वस्तुओं पर कर	43,126	47.22
ख. करेत्तर राजस्व	**13,229**	**14.49**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	2,128	2.33
सामान्य सेवाएं	1,468	1.61
सामाजिक सेवाएं	808	0.89
आर्थिक सेवाएं	8,825	9.66
ग. सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	**19,608**	**21.47**
योग– राजस्व प्राप्तियां	**91,327**	**100.00**

* भारत सरकार से प्राप्त राज्यों का निवल आगम का भाग सम्मिलित है।

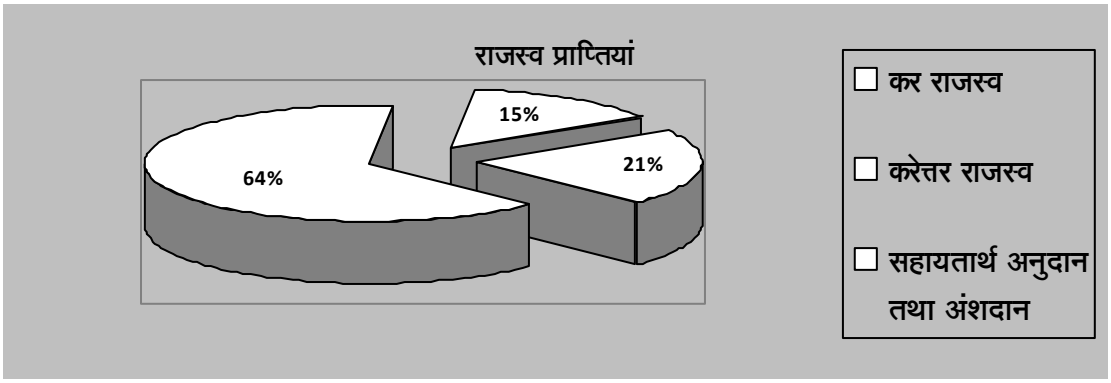

2.2.2. कर राजस्व के मुख्य अशंदाता:–

(₹ करोड़ में)

संघटक	वास्तविक	सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	24,170	4.21
निगम कर	6,920	1.20
राज्य उत्पाद शुल्क	5,586	0.97
निगम कर से भिन्न आय पर कर	4,942	0.86
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,189	0.55
सीमा शुल्क	3,205	0.56
सेवा कर	2,921	0.51
वाहन कर	2,830	0.49
संघ उत्पाद शुल्क	1,810	0.32
विद्युत पर कर तथा शुल्क	1,534	0.27
माल तथा यात्रा पर कर	956	0.17

वर्ष के दौरान शुद्ध कर राजस्व बजट अनुमानों की तुलना में ₹ 4,921 करोड़ कम था। मुख्य परिवर्तन निम्न रहे:–

(₹ करोड़ में)

जहां वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से कम थी		जहां वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से अधिक थी	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,455	माल तथा यात्रा पर कर	611
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,011	राज्य उत्पाद शुल्क	267
सेवा कर	1,059		
निगम कर	663		
निगम कर से भिन्न आय पर कर	460		
संघ उत्पाद शुल्क	455		
सीमा शुल्क	303		
विद्युत पर कर तथा शुल्क	163		
वाहन कर	120		
भू–राजस्व	112		

2.3. प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कर राजस्व	33,614 (10)	40,354 (10)	47,606 (10)	52,151 (10)	58,490 (10)
करेत्तर राजस्व	6,294 (2)	9,175 (2)	12,133 (2)	13,575 (2)	13,229 (2)
सहायतार्थ अनुदान	6,020 (2)	7,482 (2)	7,174 (2)	8,745 (2)	19,608 (4)
कुल राजस्व प्राप्ति	45,928 (14)	57,011 (14)	66,913 (14)	74,471 (14)	91,327 (16)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**3,38,348**	**4,14,179**	**4,70,178**	**5,17,615**	**5,74,549**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की *प्रतिशतता* को प्रदर्शित करते हैं।

2014-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में 11 *प्रतिशत* बढा तथा राजस्व संग्रहण में 23 *प्रतिशत* की वृद्धि थी। कर राजस्व 12 *प्रतिशत* की बढा जबकि करेत्तर राजस्व में 3 *प्रतिशत*

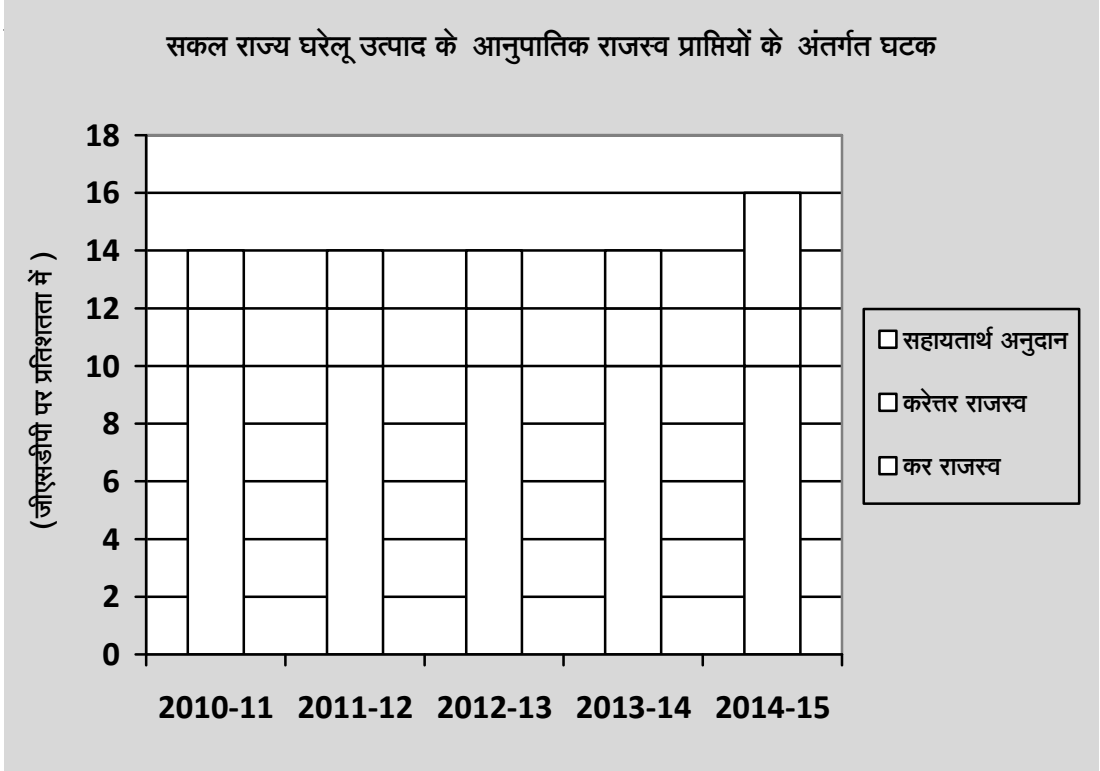

खण्डवार राजस्व कर

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आय एवं व्यय पर कर	7,680 (2)	8,890 (2)	9,822 (2)	10,415 (2)	11,863 (2)
सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	2,464 (1)	3,061 (1)	3,800 (1)	3,494 (1)	3,501 (1)
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	23,470 (7)	28,403 (7)	33,984 (7)	38,242 (7)	43,126 (7)
कुल कर राजस्व	33,614 (10)	40,354 (10)	47,606 (10)	52,151 (10)	58,490 (10)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**3,38,348**	**4,14,179**	**4,70,178**	**5,17,615**	**5,74,549**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की *प्रतिशतता* को प्रदर्शित करते हैं।

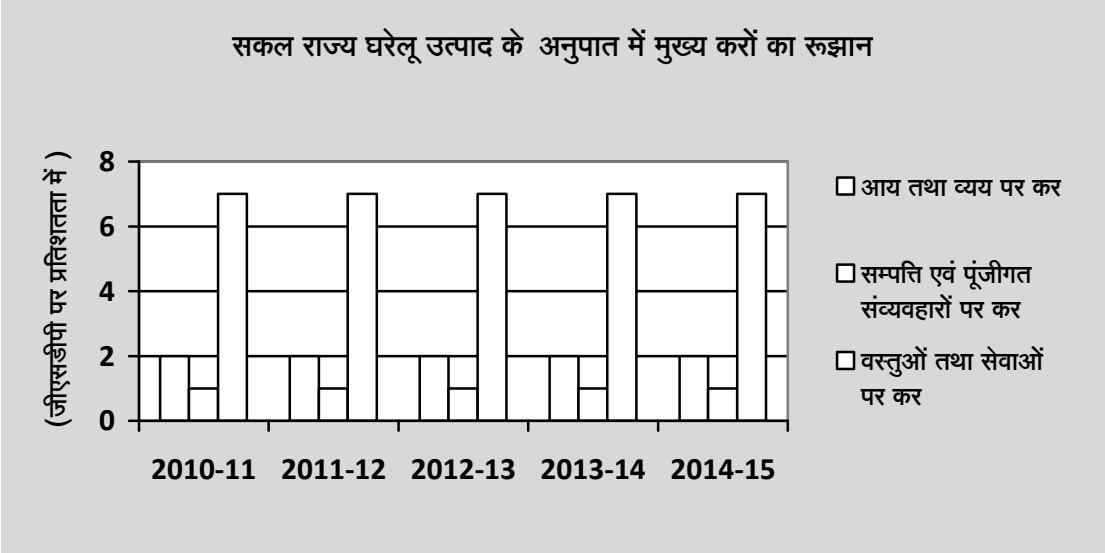

2.4. राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण की कार्यशैली

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	केन्द्रीय करों का राज्यांश	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	
			₹	जीएसडीपी पर *प्रतिशतता*
2010-11	33,614	12,856	20,758	6
2011-12	40,354	14,977	25,377	6
2012-13	47,606	17,103	30,503	6
2013-14	52,151	18,673	33,478	6
2014-15	58,490	19,817	38,673	7

2.5. कर संग्रहण की दक्षता

क. सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व संग्रहण	2,464	3,061	3,800	3,494	3,501
संग्रहण पर व्यय	411	461	526	545	619
कर संग्रहण में दक्षता (*प्रतिशत* में)	17	15	14	16	18

ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व संग्रहण	23,470	28,403	33,984	38,242	43,126
संग्रहण पर व्यय	376	615	503	577	803
कर संग्रहण में दक्षता (*प्रतिशत* में)	2	2	1	2	2

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर, कर राजस्व का मुख्य भाग बनाती है। कर संग्रहण क्षमता सराहनीय है। यद्यपि, सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर की संग्रहण क्षमता में सुधार होना चाहिये।

2.6. गत पाँच वर्षों के दौरान संघ करों के राज्यांश में रूझान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
निगम कर	5,025	5,895	6,144	6,280	6,920
आय पर निगम कर से भिन्न कर	2,656	2,994	3,678	4,135	4,942
धन पर कर	10	23	10	17	19
सीमा शुल्क	2,248	2,597	2,842	3,047	3,205
संघ उत्पाद शुल्क	1,635	1,680	1,931	2,152	1,810
सेवा शुल्क	1,282	1,788	2,498	3,042	2,921
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	..	..	..	..	..
संघ करों के राज्यांश	**12,856**	**14,977**	**17,103**	**18,673**	**19,817**
कुल कर राजस्व	**33,614**	**40,354**	**47,606**	**52,151**	**58,490**
कुल कर राजस्व पर संघ करों का *प्रतिशत*	**38**	**37**	**36**	**36**	**34**

2.7. सहायतार्थ अनुदान

सहायतार्थ अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती है तथा इसमें नीति आयोग द्वारा स्वीकृत राज्य आयोजनागत योजनाएं एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंषित राज्य आयोजना भिन्न अनुदान सम्मिलित है। 2014–15 के दौरान सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 19,608 करोड़ नीचे दर्शाए अनुसार हैं:

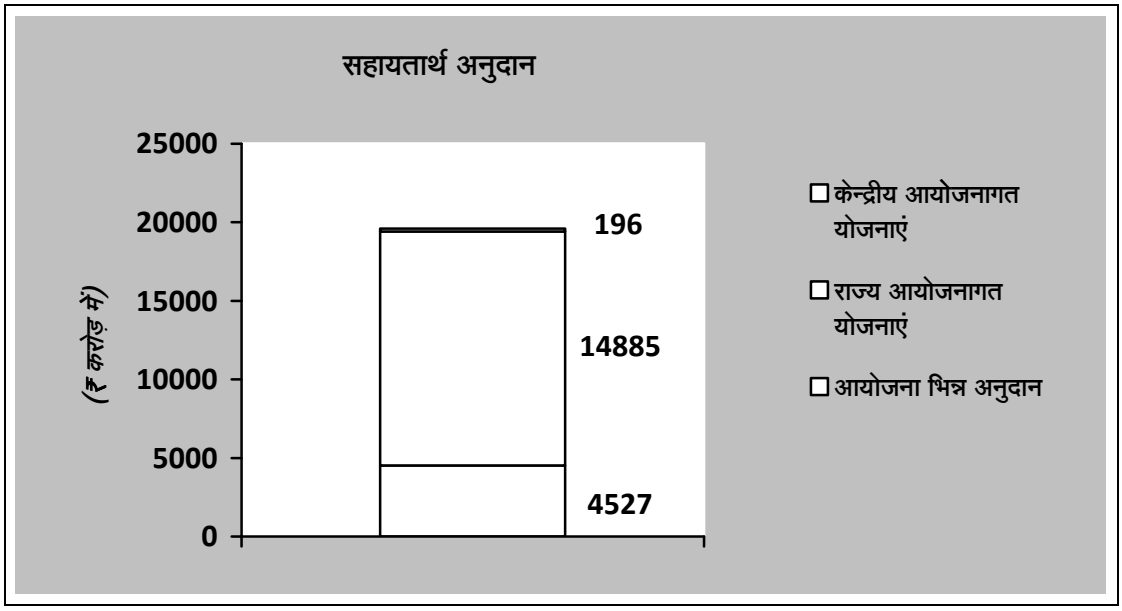

2.8. लोक ऋण

लोक ऋण (निवल) का गत 5 वर्षो का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आन्तरिक ऋण	4,754	2,559	5,516	10,608	12,896
केन्द्रीय ऋण	(-) 94	(-) 131	(-) 268	(-) 232	285
कुल लोक ऋण	4,660	2,428	5,248	10,376	13,181

टिप्पणी : ऋण राशियां प्राप्तियों के अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करती है।

2014–15 में कुल ₹ 12,300 करोड़ के तेईस ऋण 8.02 *प्रतिशत* से 9.63 *प्रतिशत* की विभिन्न ब्याज दर पर लिये गये। इन ऋणों में से अठारह ऋण वर्ष 2024 में चुकता होगें तथा पांच 2025 में चुकता होंगे।

अध्याय 3

व्यय

3.1. प्रस्तावना

व्यय, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत है। राजस्व व्यय संगठन को दिन प्रतिदिन चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। पूंजीगत व्यय का प्रयोग स्थायी सम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी सम्पत्तियों के उपयोग को बढ़ाने अथवा स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए किया जाता है। व्यय को आगे आयोजना भिन्न तथा आयोजना के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	न्याय, ब्याज अदायगियां, पुलिस, जेल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित है।
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलपूर्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पोषण तथा प्राकृतिक आपदाओं से राहत इत्यादि सम्मिलित है।
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इत्यादि सम्मिलित हैं।

3.2. राजस्व व्यय

2014–15 के लिये ₹ 94,542 करोड़ का राजस्व व्यय बजट अनुमानों से ₹ 10,845 करोड़ कम था जो आयोजना भिन्न व्यय के अंतर्गत ₹ 2,204 करोड़ तथा आयोजना व्यय के अंतर्गत ₹ 8,641 करोड़ का कम व्यय होने के कारण रहा । राज्य सरकार ने नयी सेवाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए माह मार्च 2015 में ₹ 2,860 करोड़ का अनुपूरक अनुदान लिया। यद्यपि, वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

गत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व व्यय के विरूद्ध बजट अनुमानों की कमी/आधिक्य नीचे दिखाई जा रही है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बजट अनुमान	43,562	51,934	62,219	76,195	1,05,387
वास्तविक	44,873	53,654	63,462	75,510	94,542
अन्तर	(-) 1,311	(-) 1,720	(-) 1,243	685	10,845
बजट अनुमानों पर अन्तर की *प्रतिशतता*	(-) 3	(-) 3	(-) 2	1	10

राजस्व व्यय का लगभग 68 *प्रतिशत* वेतन (₹ 23,020 करोड़, पूंजी क्षेत्र में वेतन पर किये गये ₹ 88 करोड़ को छोड़कर), ब्याज अदायगियां (₹ 10,468 करोड़), पेंशन (₹ 9,629 करोड़), सहाय्य (₹ 8,626 करोड़), सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) (₹ 8,245 करोड़), सामाजिक सुरक्षा पेंशन (₹ 3,709 करोड़) तथा मजदूरी (₹ 478 करोड़) पर " वचनबद्ध " था।

वचनबद्ध तथा गैर वचनबद्ध राजस्व व्यय की गत पाँच वर्षों की स्थिति नीचे दिखायी जा रही है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व व्यय	44,873	53,654	63,462	75,510	94,542
वचनबद्ध राजस्व व्यय	29,317	32,859	38,257	44,408	64,175
गैर वचनबद्ध राजस्व व्यय	15,556	20,795	25,205	31,102	30,367

* 2014-15 के दौरान सहायतार्थ अनुदान (वेतन) तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर व्यय को वचनबद्ध राजस्व व्यय में शामिल किया गया, पूर्व में ये गैर वचनबद्ध राजस्व व्यय में सम्मिलित थे।

3.2.1. राजस्व व्यय के मुख्य संघटक (2010-2015)

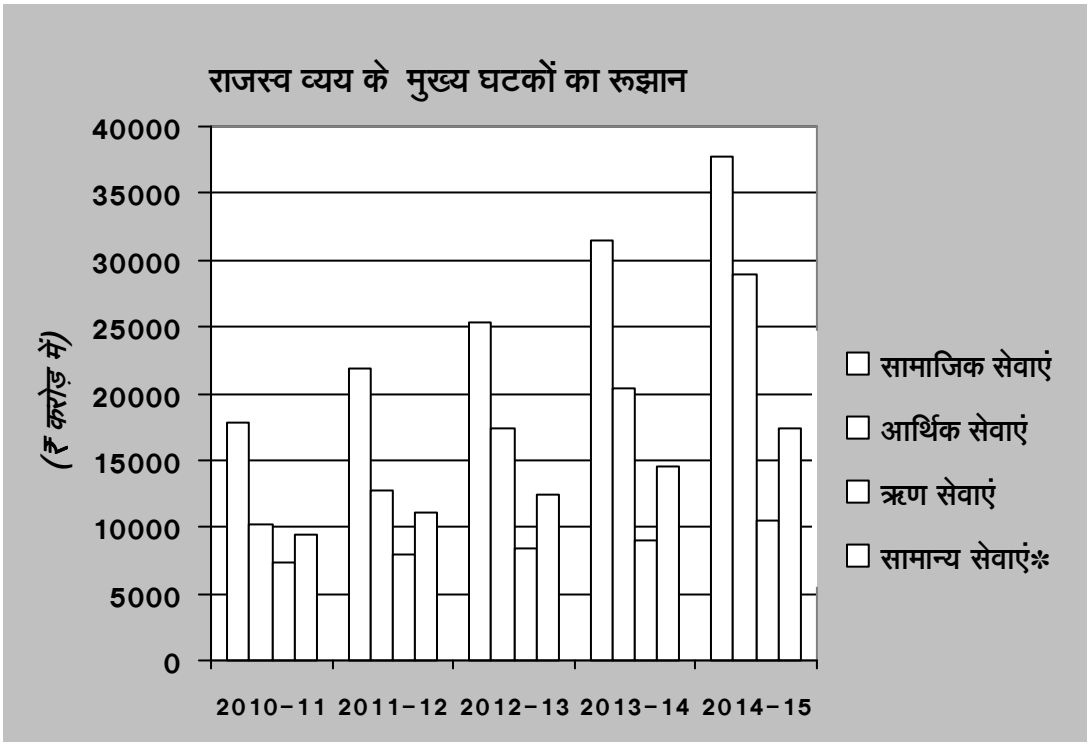

* सामान्य सेवाएं में मुख्य शीर्ष *2049* (ब्याज अदायगियां) सम्मिलित नही है तथा मुख्य शीर्ष *3604* (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) सम्मिलित है ।

गत पाँच वर्षों के दौरान व्यय सभी क्षेत्रों में बढ़ा है।

3.2.2. राजस्व व्यय का खण्डवार विवरण

घटक	राशि *(₹ करोड़ में)*	*प्रतिशत*
क. राजकोषीय सेवाएं	1,424	2
सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	619	1
वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	803	1
अन्य राजकोषीय सेवाएं	2	..
ख. राज्य के अंग	891	1
ग. ब्याज अदायगियां तथा ऋण सेवा	10,463	11
घ. प्रशासनिक सेवाएं	4,843	5
ङ पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	10,247	11
च. सामाजिक सेवाएं	37,754	40
छ. आर्थिक सेवाएं	28,920	30
ज. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	..	..
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**94,542**	**100**

3.3. पूंजीगत व्यय

2014–15 के लिए ₹ 16,103 करोड़ का पूंजीगत वितरण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 *प्रतिशत* था जो कि बजट अनुमानों से ₹ 4,462 करोड़ कम था ।

3.3.1. पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

2014–15 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 1,191 करोड़ विभिन्न सिंचाई परियाजनाओं पर (₹ 663 करोड़ मुख्य सिंचाई पर, ₹ 92 करोड़ मध्यम सिंचाई पर तथा ₹ 436 करोड़ लघु सिंचाई पर), ₹ 4,494 करोड़ विभिन्न जलपूर्ति योजनाओं पर तथा ₹ 2,706 करोड़ सड़क तथा सेतु निर्माण पर व्यय किये । राज्य सरकार ने ₹ 4,392 करोड़ (निवल) का विभिन्न कम्पनियों/निगमों/सहकारी समितियों/बैंकों इत्यादि में भी निवेश किया । सरकारी निवेश का बड़ा हिस्सा विभिन्न विद्युत कम्पनियों (₹ 4,249 करोड़) में था।

3.3.2. गत पाँच वर्षों के पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सामान्य सेवाएं	155 (3)	204 (3)	249 (2)	334 (2)	534 (3)
सामाजिक सेवाएं	1,836 (33)	1,997 (24)	2,840 (22)	4,551 (31)	5,838 (35)
आर्थिक सेवाएं	3,260 (59)	4,918 (60)	7,594 (58)	8,779 (61)	9,731 (58)
कर्जे तथा पेशगियां	262 (5)	1,109 (13)	2,412 (18)	812 (6)	701 (4)
कुल योग	**5,513**	**8,228**	**13,095**	**14,476**	**16,804**

टिप्पणी : कोष्ठक में दर्शायी गयी राशियां कुल पूंजीगत व्यय पर *प्रतिशतता* दर्शाती हैं।

पूंजीगत व्यय के मुख्य संघटक का रूझान

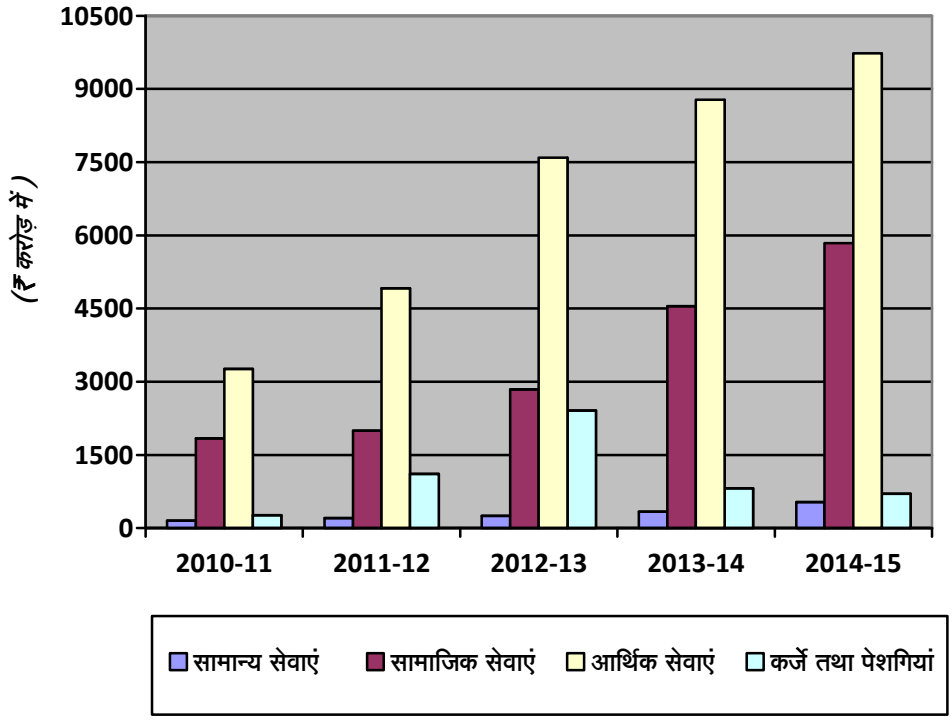

अध्याय 4

आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय

4.1. व्यय का वितरण

व्यय का वितरण

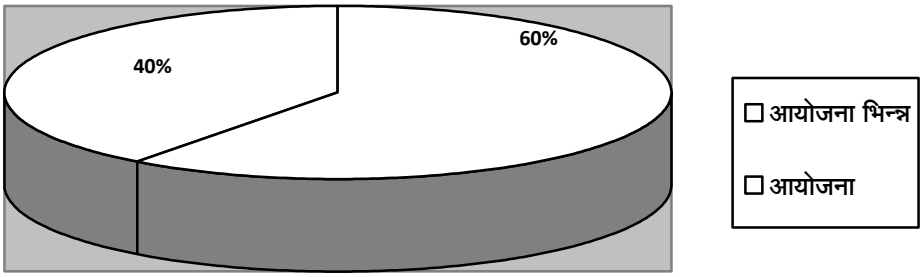

4.2. आयोजना भिन्न व्यय

2014–15 के दौरान आयोजना भिन्न व्यय कुल वितरण के 60 *प्रतिशत* को दर्शाते हुऐ ₹ 67,169 करोड़ (₹ 67,098 करोड़ राजस्व के तहत, ₹ 16 करोड़ पूंजीगत के तहत तथा ₹ 55 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम के तहत) था ।

कुल व्यय तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में आयोजना भिन्न व्यय

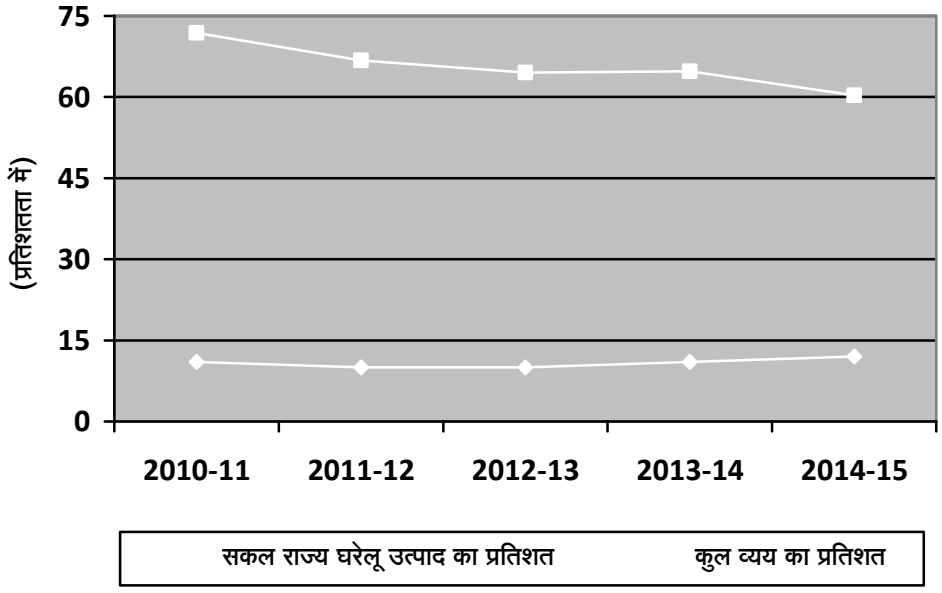

4.3. आयोजना व्यय

2014–15 के दौरान आयोजना व्यय कुल वितरण के 40 *प्रतिशत* को दर्शाते हुऐ ₹ 44,177 करोड़ (₹ 27,444 करोड़ राजस्व के तहत, ₹ 16,087 करोड़ पूंजीगत के तहत तथा ₹ 646 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम के तहत) था।

कुल व्यय तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में आयोजना व्यय

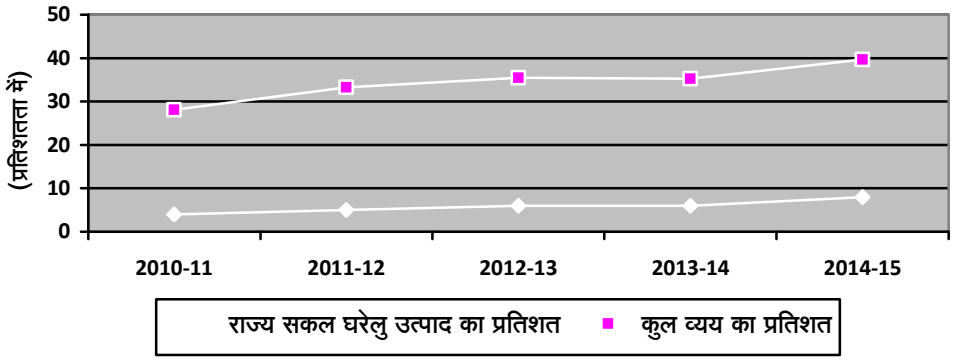

4.3.1. पूंजीगत लेखे के अंतर्गत आयोजना व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल पूंजीगत व्यय	5,513	8,228	13,095	14,476	16,804
पूंजीगत व्यय (आयोजना)	5,420	8,154	12,924	14,340	16,733
कुल पूंजीगत व्यय पर पूंजीगत व्यय (आयोजना) की *प्रतिशतता*	98	99	99	99	99

4.3.2. कर्जे एवं अग्रिम के अंतर्गत आयोजना व्यय

कर्जे तथा अग्रिम का महत्वपूर्ण वितरण निम्नानुसार है :

मुख्य शीर्ष	राशि *(₹ करोड़ में)*	उद्देश्य
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज	**267**	जयपुर मेट्रों रेल कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज	**90**	गोदाम निर्माण हेतु कर्ज
6425. सहकारिता के लिए कर्ज	**15**	राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, ए.आर.सी. की विशिष्ठ योजनाओं के ऋण पत्र के लिये सहकारी समितियों तथा समग्र सहकारिता विकास परियोजना हेतु अन्य सहकारी समितियों को कर्ज
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	**241**	विभिन्न विद्युत् कम्पनियों को कर्जे
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज	**25**	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को कर्जे

4.4. वचनबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

संघटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वचनबद्ध व्यय	29,317	32,859	38,257	44,408	64,175
राजस्व व्यय	44,873	53,654	63,462	75,510	94,542
राजस्व प्राप्तियों पर वचनबद्ध व्यय (*प्रतिशत में*)	64	58	57	60	70
राजस्व व्यय पर वचनबद्ध व्यय (*प्रतिशत में*)	65	61	60	59	68

वचनबद्ध व्यय का रूझान

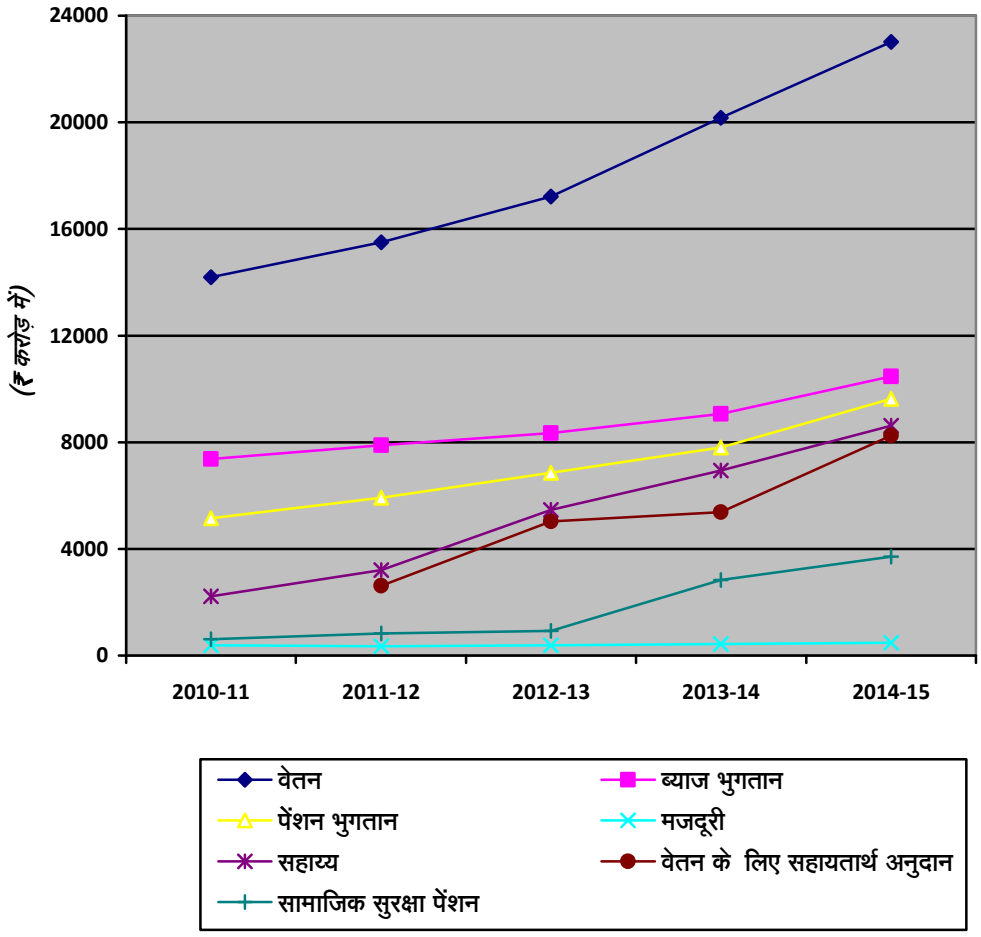

वचनबद्ध व्यय पर बढ़ता रूझान सरकार को विकास कार्यों पर कम व्यय को मजबूर करता है।

अध्याय 5

विनियोग लेखे

5.1. विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	अभ्यर्पण
राजस्व						
दत्तमत	97,348	2,792	1,00,140	86,514	(-) 13,626	13,597
भारित	*10,579*	*68*	*10,647*	*10,570*	*(-) 77*	*76*
पूंजी						
दत्तमत	21,379	1,095	22,474	16,740	(-) 5,734	5,271
भारित	..*	..	..*	..$	..#	..@
लोक ऋण						
भारित	*4,957*	..	*4,957*	*4,960*	*(+) 3*	*15*
कर्जे तथा पेशगियां						
दत्तमत	518	18	536	701	(+) 165	151
आकस्मिकता निधि से विनियोग						
दत्तमत	..	300	300	300	..	..
योग	**1,34,781**	**4,273**	**1,39,054**	**1,19,785**	**19,269**	**19,110**

* ₹ 1.38 लाख मात्र $ ₹ 1.33 लाख मात्र

\# ₹ (–) 0.05 लाख मात्र @ ₹ 0.05 लाख मात्र

5.2. गत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य का रूझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-)/आधिक्य (+)				योग
	राजस्व	पूंजी	लोक ऋण	कर्जे तथा अग्रिम	
2010-11	(-) 2,455	(-) 3,091	..	(+) 147	(-) 5,399
2011-12	(-) 3,525	(-) 3,343	..	(+) 331	(-) 6,537
2012-13	(-) 5,293	(-) 2,143	(-) 12	(+) 611	(-) 6,837
2013-14	(-) 6,787	(-) 2,903	(-) 17	(-) 27	(-) 9,734
2014-15	(-) 13,703	(-) 5,734	(+) 3	(+) 165	(-) 19,269

5.3. महत्वपूर्ण बचत

अनुदान के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचत निश्चित योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वित न होने अथवा धीमे क्रियान्वयन को दर्शाती है।

कुछ अनुदानों में निरन्तर तथा महत्वपूर्ण बचत नीचे दर्शायी गयी है:

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
	ब्याज अदायगियां (राजस्व)	58	121	155	178	62
003	सचिवालय (राजस्व)	42	357	173	45	23
008	राजस्व (राजस्व)	171	137	97	72	61
009	वन (राजस्व)	66	135	154	188	117
009	वन (पूंजी)	49	20	27	16	88
012	अन्य कर (राजस्व)	22	11	13	46	82
015	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (राजस्व)	188	224	168	127	266
016	पुलिस (राजस्व)	70	66	40	85	87
019	लोक निर्माण कार्य (पूंजी)	22	109	136	278	688
021	सड़के एवं पुल (राजस्व)	43	10	140	26	93
021	सड़के एवं पुल (पूंजी)	40	159	133	7	881
022	क्षेत्र का विकास (पूंजी)	23	52	21	102	90
024	शिक्षा, कला एवं संस्कृति (राजस्व)	257	514	966	1,203	2,748
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई (राजस्व)	362	193	170	317	1,170
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई (पूंजी)	1	26	67	43	123
027	पेय जल योजना (पूंजी)	705	593	178	200	266

029	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास (राजस्व)	178	103	139	211	566
029	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास (पूंजी)	269	355	194	415	573
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास (राजस्व)	44	194	277	306	1,223
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास (पूंजी)	20	395	232	223	616
032	नागरिक आपूर्ति (राजस्व)	22	3	20	122	16
033	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (राजस्व)	163	91	174	200	233
033	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (पूंजी)	8	22	86	11	256
034	प्राकृतिक आपदाओं से राहत (राजस्व)	360	544	408	87	127
035	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं (राजस्व)	96	28	35	22	450
037	कृषि (राजस्व)	38	89	117	88	410
037	कृषि (पूंजी)	36	34	4	17	120
039	पशुपालन एवं चिकित्सा (राजस्व)	5	8	20	26	121
041	सामुदायिक विकास (राजस्व)	7	27	113	199	636
043	खनिज (राजस्व)	4	58	82	25	95
046	सिंचाई (राजस्व)	47	55	57	96	112
046	सिंचाई (पूंजी)	182	171	229	279	212
050	ग्रामीण रोजगार (राजस्व)	27	76	61	57	1,222
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना (राजस्व)	17	203	196	262	1,654
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना (पूंजी)	11	402	124	275	497

2014–15 के दौरान ₹ 4,273 करोड़ की कुल अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 4 *प्रतिशत)* कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुई, जहाँ वर्ष की समाप्ति पर मूल आवंटन के विरुद्ध महत्वपूर्ण बचत भी रही। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
	ब्याज अदायगियां	राजस्व	10,470	55	10,463
	लोक सेवा आयोग	राजस्व	24	5	20
005	प्रशासनिक सेवाएं	राजस्व	135	7	128
006	न्याय प्रशासन	राजस्व	567	9	539
007	निर्वाचन	राजस्व	356	2	337
008	राजस्व	राजस्व	634	6	579
012	अन्य कर	राजस्व	443	73	434
019	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	411	8	373
020	आवास	राजस्व	69	8	62
028	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	राजस्व	477	118	310
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास	पूंजी	2,307	426	2,117
041	सामुदायिक विकास	राजस्व	5,066	28	4,457
043	खनिज	राजस्व	109	88	102
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	पूंजी	2,713	337	2,552

अध्याय 6

सम्पत्तियां एवं दायित्व

6.1. सम्पत्तियां

लेखों का वर्तमान प्रारूप सरकारी सम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन इत्यादि का मूल्यांकन, केवल प्राप्ति/क्रय करने का वर्ष छोड़कर सरलता से प्रदर्शित नहीं करता । इसी प्रकार, जबकि लेखे चालू वर्ष में बढ़े दायित्वों का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले समग्र दायित्वों के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल वर्तमान ऋण की अवधि तथा ब्याज की दर जैसे सीमित प्रदर्शन को छोड़कर।

2014–15 के अंत में गैर वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश–पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 27,910 करोड़ था। यद्यपि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹ 63 करोड़ (अर्थात् 0.23 *प्रतिशत*) का लाभांश प्राप्त हुआ। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 4,392 करोड़ (निवल) से निवेश बढ़ा तथा लाभांश से आय ₹ 38 करोड़ से बढी । मुख्य निवेश विद्युत् कम्पनियों (₹ 4,249 करोड़) में किया गया।

31 मार्च 2014 को रोकड़ शेष ₹ 6 करोड़ था तथा मार्च 2015 के अंत तक ₹ 31 करोड़ तक बढ़ा ।

6.2. ऋण एवं देयता

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर निश्चित सीमा के अन्दर, यदि कोई हो, जैसा कि राज्य विधान मण्डल द्वारा समय–समय पर निश्चित की गई हो, उधार लेने के लिए अधिकृत करता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है (आंकड़े वर्ष के अंत में अग्रेषित शेष है) :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*	लोक लेखा *	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*	कुल देयताएं	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*
2010-11	69,278	20	30,007	9	99,285	29
2011-12	71,706	17	34,854	9	1,06,560	26
2012-13	76,954	16	40,855	9	1,17,809	25
2013-14	87,330	17	42,580	8	1,29,910	25
2014-15	1,00,511	18	47,098	8	1,47,609	26

* अग्रिम, उचन्त तथा विविध एवं प्रेषण शेषों को छोड़कर।

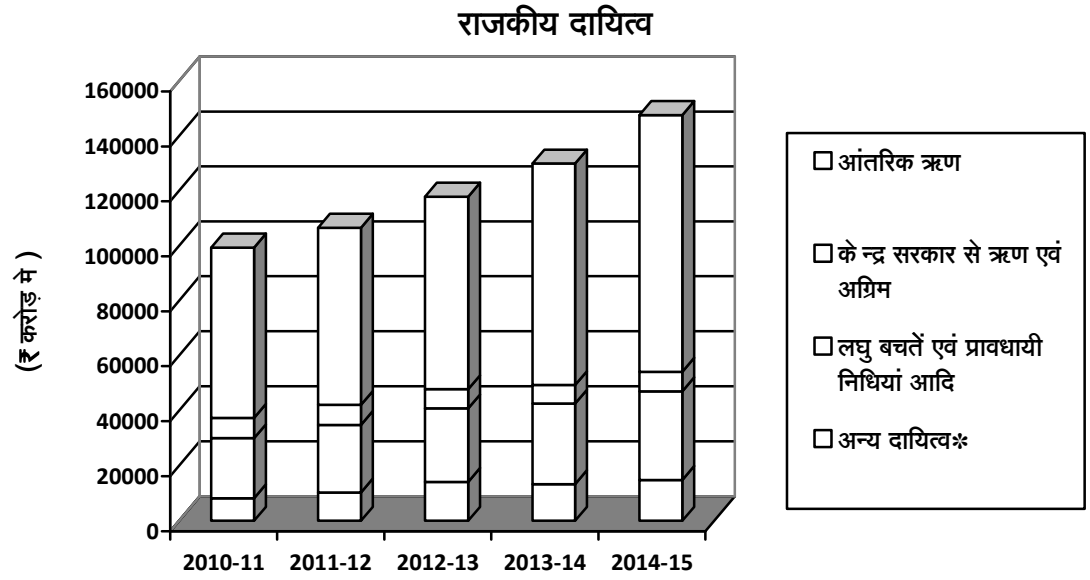

* अन्य दायित्वों में आरक्षित निधियां तथा जमा सम्मिलित है।

6.3. गारन्टियां

सीधे कर्जे उगाहे जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकार सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से विभिन्न आयोजनागत योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उगाहे गये कर्जों के लिये गारन्टी भी देती है। ये गारन्टियां राज्य बजट के बाहर प्रायोजित की जाती है। सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों, इत्यादि द्वारा लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान (मूल तथा इस पर ब्याज का भुगतान) के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	गारन्टी की अधिकतम राशि (मूलधन मात्र)	वर्ष के अंत में बकाया मूलधन
2010-11	88,112	50,691
2011-12	97,566	60,711
2012-13	1,13,340	75,546
2013-14	1,40,526	85,911
2014-15	1,61,918	94,578

टिप्पणी: विस्तृत विवरण वित्त लेखे के विवरण संख्या 20 में उपलब्ध है तथा ये राज्य सरकार तथा जहां उपलब्ध हुई, संबंधित संस्थाओं, से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है।

गारन्टी फीस 0.01 *प्रतिशत* से 1 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष पर संगणित की जाती है। 2014–15 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 616 करोड़ गारन्टी मोचन निधि में स्थानान्तरित किये तथा ₹ 1,724 करोड़ के कुल शेष में से ₹ 1,105 करोड़ निवेशित किये गये।

अध्याय 7

अन्य मदें

7.1. राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा अग्रिम

वर्ष 2014–15 के अंत में राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुल कर्जे तथा अग्रिम ₹ 4,701 करोड़ थे। 2014–15 के दौरान ₹ 1,004 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम के पुनर्भुगतान बाबत प्राप्त हुए, जिसमें से ₹ 988 करोड़, राजस्थान आवास विकास तथा आधारभूत लिमिटेड (₹ 74 करोड़), जयपुर विकास प्राधिकरण (₹ 34 करोड़), राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड (₹ 24 करोड़), राजस्थान राज्य नागरिक आपूर्ति सहकारी लिमिटेड (₹ 10 करोड़), विभिन्न सहकारी संस्थाऐ (₹ 60 करोड़), तथा विद्युत कम्पनियां (₹ 786 करोड़) के पुनर्भुगतान से संबंधित है। बकाया ऋणों की वसूली के लिये प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति के लिये मददगार होगें।

7.2. रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2014 को	31 मार्च 2015 को	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	6	31	(+) 25
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय बिल)	8,998	7,629	(-) 1,369
अन्य रोकड़ शेष	5	4	(-) 1
(क) विभागीय शेष	1	1	..
(ख) स्थायी रोकड़ अग्रदाय	4	3	(-) 1
आरक्षित निधियों के शेष से निवेश	1,438	1,285	(-) 153
(क) गारन्टी मोचन निधि	637	1,105	(+) 468
(ख) अन्य निधियां	801	180	(-) 621
ब्याज प्राप्तियां *	934	826	(-) 108

* इसमें गारण्टी मोचन निधि में से किये गये निवेश पर ब्याज सम्मिलित है।

2014–15 के अन्त में राज्य सरकार का अन्तिम रोकड़ शेष धनात्मक था।

7.3. स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

गत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को दी गई सहायतार्थ अनुदान वर्ष 2010–11 में ₹ 10,216 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 28,329 करोड़ बढ़ी । जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगर पालिकाओं को दी गई अनुदान (₹ 16,284 करोड़) वर्ष के दौरान दी गई कुल अनुदान का 57 *प्रतिशत* है।

गत पाँच वर्षों में जारी की गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद	नगर पालिकाएं तथा नगर निगमों	ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियां	अन्य	योग
2010-11	621	1,130	3,744	4,721	**10,216**
2011-12	1,116	1,340	5,102	4,779	**12,337**
2012-13	1,280	2,255	6,395	6,288	**16,218**
2013-14	2,118	2,324	6,835	7,486	**18,763**
2014-15	5,787	2,451	8,046	12,045	**28,329**

7.4. लेखों का अंक मिलान

लेखों की सटीकता तथा विश्वसनीयता, अन्य बातों के बीच, विभाग के उपलब्ध आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) द्वारा संकलित लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के समय पर अंकमिलान पर निर्भर करती है। यह कार्य संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान सभी 406 नियंत्रण अधिकारियों ने कुल व्यय राशि ₹ 1,16,606 करोड़ (निवल) का अंकमिलान किया । इसी प्रकार वर्ष 2014–15 के लिए सभी 156 नियंत्रण अधिकारियों ने कुल प्राप्त राशि ₹ 91,342 करोड़ का अंक मिलान किया ।

7.5. व्यय की प्रचुरता

वित्तीय नियम अपेक्षा करते हैं कि वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषतया अंतिम माह में व्यय की प्रचुरता को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जायेगा तथा इससे बचा जाना चाहिये। यद्यपि, कुछ चयनित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2015 में वर्ष के दौरान कुल व्यय का 51 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* के बीच व्यय हुआ है जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में बजट का उपयोग किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2014–15 के चार त्रैमासिक के दौरान व्यय का प्रवाह उक्त दर्शाये शीर्षों में निम्नलिखित था :–

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	योग	मार्च के दौरान	2014–15 के कुल व्यय के संदर्भ में मार्च 2015 का *प्रतिशतता*
		(₹ करोड़ में)						
2075	विविध सामान्य सेवाएं	0.26	0.61	0.18	616.47	617.52	615.90	99.74
2425	सहकारिता	15.88	17.09	246.66	331.88	611.51	311.75	50.98
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	12.68	27.72	98.03	352.78	491.22	249.41	50.77
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.92	0.89	14.09	54.74	70.64	54.12	76.61
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	0.01	0.01	0.00	0.07	0.09	0.08	88.89
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	1.29	100.00
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	26.17	45.97	100.86	311.32	484.32	257.57	53.18
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	3.17	4.65	4.77	21.25	33.84	19.06	56.32
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	515.00	790.97	79.67	2863.57	4249.21	2710.97	63.80
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.40	0.12	0.48	7.17	8.17	7.13	87.27
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	42.57	42.57	42.57	100.00
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	100.00
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	(-) 0.46	3.09	24.96	139.48	167.07	118.45	70.90
6225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज	0.00	0.00	1.00	1.50	2.50	1.50	60.00
7055	सड़क परिवहन के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	100.00

7.6. कोषालयों द्वारा लेखों की प्रस्तुति

कोषालयों द्वारा भेजे जाने वाले प्रारम्भिक लेखों की स्थिति संतोषजनक है। फिर भी, लोक निर्माण कार्य तथा वन विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले लेखों की स्थिति में सुधार होना आवश्यक है।

7.7. सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल तथा विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल

जब अग्रिम धन की आवश्यकता होती है या आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) सही राशि की आवश्यकता की गणना करने में समर्थ नही होने पर वे बिना समर्थित वाउचरों के सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अनुमत्य है। ऐसे एसी बिलों को अधिकतम 90 दिनों में विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिलों के प्रस्तुतीकरण से समाशोधित करना होता है। 31 मार्च 2015 को ₹ 289 करोड़ के कुल 368 डीसी बिल बकाया थे। इसमें एक साल से अधिक के बकाया के 125 डीसी बिल राशि ₹ 98 करोड़ सम्मिलित हैं।

7.8. अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों के लेखे पर वचनबद्धता

राज्य सरकार द्वारा दस करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न अपूर्ण परियोजनाएं, जो जल संसाधन, लोक निर्माण तथा जन–स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभागों के अधीन है, पर वर्ष 2014–15 तक कुल ₹ 11, 166.95 करोड़ का व्यय किया गया।